शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिक रही मिलावटी खाद्य सामग्री

लोगों के स्वास्थ्य के साथ किया जा रहा खिलवाड़ , सिर्फ नमूने लेते तक सीमित संबंधित विभाग

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 18 फरवरी.शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलावाटी खाद्य सामाग्री धड़ल्ले से बिक रही है। होटलों, ढाबों और फुटपाथ पर लग रही फास्ट फूड की दुकानों में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। होटलों में उपयोग होने वाले खाद्य तेल से मसाले और अन्य सामग्री घटिया स्तर की उपयोग की जा रही है। घटिया तेलों से बनी नाश्ता भी घटिया स्तर का बन रहा है। जिसे खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि शहर के फुटपाथों में तकरीबन 200 से अधिक फास्ट फूड के ठेले और दुकानें संचालित हो रही है। इन दुकानों में घटिया खाद्य सामग्री का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन ठेलों और दुकानों में खुले में खाद्य सामग्री बनाई जा रही है। जिससे धूल मिट्टी के साथ ही मक्खियां भिनभिनाते देखे जा सकते है। इसी तरह गांधी गंज दुकान में भी मिलावटी तेलों की बाढ़ सी आ गई है। थोक दुकानदार सीधे सोयाबीन प्लांट से लोकर दुकानों में बने टैंकों में भर देते है। इसके बाद नलों से टिन और प्लास्टिक की कुप्पियों में भरकर स्वयं के ब्रांड लगाकर बेचे जा रहे है। ये थोक दुकानदार नियमों की खुली धज्जियां उड़ा रहे है। यह तेल लोगों के घरों और होटलों ढावों और रेस्टारेंटों में पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फूड विभाग के लिए सेंपल में अभी तक तेल में कोई मिलावट नहीं निकली। ऐसा लगता है कि फूड विभाग ने इन ऑइल मिलों को मिलावटी तेल बेचने की क्लीन चिट दे दी हो। लोगों को मिलावटी खाद्य सामग्री और तेलों से बन रहे भोजन से हो रही बीमारियों में थोक दुकानदारों के साथ-साथ फूड विभाग भी जिम्मेदार नजर आ रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में हो रही सप्लाई

जानकारी जुटाने पर पता चला कि एक्सपायरी खाद्य सामग्री को शहर से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों के मुख्य बाजारों में सबसे बड़ी दुकान में ऑर्डर पर सप्लाई किया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों से जो पैक खाद्य सामग्री की वैधता तिथि खत्म हो जाती है। वह बड़ी मात्रा में खरीद ली जाती है फिर शुरु किया जाता है लोगों के जीवन से खिलवाड़। अन्य खाद्य सामग्री के साथ ही एक्सपायरी खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है खासकर यह उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों के समय होती है। ग्रामीण इन दुकानों में पहुंचते है तथा उस खाद्य सामग्री की वैधता तिथि ना देखते हुए उसकी पैकिंग को पसंद कर वह खाद्य सामग्री घर ले जाते है। सवाल यह उठता है कि अगर इन खाद्य सामग्री के सेवन से किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तथा मौत होती है तो जिम्मेदार कौन होगा।

होटल और दुकानों में स्वच्छता का नही रखते ध्यान

शहर की होटलों से लेकर फुटपाथों पर चल रही नाश्ते और फास्ट फूड की दुकानों में स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता है। एक ही पानी में बार बार बर्तनों को धोया जाता है। वही एक ही तेल का बार बार उपयोग किया जाता है। सामग्री बनाने की जगह में साफ सफाई नहीं रखी जाती। वही अजीनो मोटो का उपयोग किया जाता है। यह स्वाद ग्रन्थियों का मार देती है। जिससे फास्ट फूड का स्वाद समय नहीं आता है। ऐसे में ये दुकानदार खुले रूप से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है।

पॉम आइल का हो रहा अधिक उपयोग

फास्ट फूड में उपयोग हो रहा अजीनो मोटो और खाद्य तेलों में मिलावट हो रहे पॉम आइल को सरकार ने स्वीकृति दे रखी है। इसकी स्वीकृति 30-40 फीसदी तक दी गई है। कंपनी इस स्वीकृति की आड़ में इससे ज्यादा मिलावट कर बैठते है। जिससे ऐसी खाद्य सामग्री का उपयोग करना कहीं न कहीं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हैरानी कर देने वाली बात यह है कि मलेसिया में सरकार ने पॉम ऑइल पर प्रतिबंध लगा रखा है।

इनका कहना है

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर एक्सपायरी खाद्य सामग्री बिक रही है तो मामला गंभीर है। मामले की जांच कर ऐसी खाद्य दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जांच करनी चाहिए।

गोपेश मिश्रा
खाद्य अधिकारी छिंदवाड़ा

पुलिस ने नपा अध्यक्ष को किया गिरफ्तार

आईटी एक्ट और छेड़छाड़ का मामला किया गया था दर्ज

नवभारत न्यूज
परासिया, 18 फरवरी. नगरपालिका परासिया अध्यक्ष विनोद मालवीय को चांदामेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया है। नपा अध्यक्ष पर महिलाओं से छेड़छाड़ व आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज थे।

मंगलवार शाम चांदामेटा पुलिस ने आरोपी अध्यक्ष विनोद मालवीय को गिरफ्तार किया था। जिन्हें बुधवार को छिंदवाड़ा न्यायालय पेश किया गया जहां से वह जेल गए। चांदामेटा थाना प्रभारी खेलचंद पटले ने बताया कि स्थानीय महिला ने अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। जिसकी विवेचना उपरांत उनके विरुद्ध बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी मंगलवार शाम को की गई। बुधवार को छिंदवाड़ा न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया था। ज्ञात हो कि विगत दिनों नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय के विरुद्ध दो महिलाओं ने अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। वहीं उनके कुछ आडियो भी वायरल हुए थे जिनमें वह ठेकेदार से 5 से 50 प्रतिशत कमी की मांग करते हुए सुने गए थे वहीं शराब ठेकेदार से शराब मांगने का भी आडियो वायरल हुआ था। इन आडियो के बाद एक महिला से अश्लील वार्तालाप का आडियो भी सुना गया।

उन लगे आरोपों को बताया था झूठा

पिछले एक महिनों से सुर्खियों में रहे नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने दो दिनों पूर्व एक विडियो जारी कर अपने ऊपर सभी आरोपों को झूठा बताया था। और यह सब उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा जिसे एक षणयंत्र बताया था। विडियो में उनका कहना था कि वह जब से नगरपालिका अध्यक्ष बने हैं उनके कुछ राजनैतिक विरोधी उन्हें पद से हटाने लगातार सक्रिय हैं। विभिन्न शिकायत उनके द्वारा न्यायालय विभागों व पार्टी संगठन में की गई। जिसके बाद मेरा भाजपा पार्टी से निष्कासन भी हुआ । यह पुलिस शिकायतें भी उसी का एक हिस्सा है। इन शिकायतों से वह मानसिक रुप से प्रताड़ित है वह इससे परेशान होकर परिवार सहित आत्मदाह करने की बात उनके इस विडियो में कहीं गई थी।

नायब तहसीलदार की शिकायत पर रेत तस्कर पर प्रकरण दर्ज

राजस्व विभाग की टीम पर किया था हमला, आरोपियों पर लगाई मामूली धाराएं

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 18 फरवरी. चौरई के चांद में राजस्व अमले की शिकायत पर पुलिस ने हमला करने वाले तस्करों पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने नायब तहसीलदार मलय बाजपेई की शिकायत पर हमलावर अंकित रघुवंशी व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

चांद की कुलबहरा नदी में रेत तस्करी का बोलबाला है। राजनीतिक संरक्षण में रेत तस्करों के हौसले बुलंद हो रहे है। तस्कारों को न तो अफसरों की परवाह है और न ही कानून का डर। बीते दिन राजस्व अमले के साथ गुंडागर्दी करने, मारपीट पर उतारू रेत माफिया पर चांद थाने में मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। रेत माफिया सरकार के राजस्व को रोजाना लाखों का चूना लगा रहा है। इसके बावजूद सरकारी तंत्र बुत बना सब देख रहा है। क्षेत्र का चांद तहसील रेत माफिया का गढ़ बन चुका है एवं माफियाओं के हौसले भी इतने बुलंद की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अमले को गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। रेत माफिया मारने की धमकी के साथ ऑन ड्यूटी कर्मचारी के साथ मारपीट करने हावी हो रहे हैं। बफर जोन में अवैध रेत खदान में चल रही जेसीबी एवं ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने गई टीम के साथ झूमा झपटी करने वाले शख्स पर चांद थाना में 296 बी, 121 बी बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है। इसी तरह का एक और मामला चांद तहसील के ग्राम मंदारिया का है। जहां नायब तहसीलदार के होते हुए स्वयं एसडीएम को कार्रवाई करने जाना पड़ा। मौके से एसडीएम ने अवैध रेत से एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टर जप्त किए हालांकि रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद की कार्रवाई करने पहुंचे टीम के सदस्यों पर गालियों की बौछार करने लगे एवं हमले का प्रयास किया तत्पश्चात एसडीएम स्वयं जेसीबी पर बैठे एवं जप्त वाहनों को चांद थाना में खड़ा किया।

फांसी लगाकर युवक ने की आत्म हत्या

छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के घाट परासिया के रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वह घर में अकेला था। वह शराब पीने का आदि था। जानकारी अनुसार संदीप पिता मूरत सरेयाम 25 साल घाट परासिया का रहने वाला है। वह अपनी मां के साथ रहता था। उसका छोटा भाई नागपुर काम से गया था। उसकी मां भी कहीं गई हुई थी। इस दौरान वह कमरे में गया। पर्दा लगाने के बाद वह फांसी पर झूल गया। सुबह उसके पहचान के किसी काम से उसके घर पहुंचे। उन्होंने पर्दा हटाया, तो देखकर दंग रह गए। वह फंदे पर लटका हुआ पाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

प्राथमिक शाला गांगावानी में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक निलंबित

नवभारत छिंदवाड़ा, 18 फरवरी. जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक सुमरलाल ठकरिया को शाला में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येन्द्र मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने पत्र 02 फरवरी 2026 द्वारा अवगत कराया है कि 30 जनवरी 2026 को प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेडा विकासखंड जुन्नारदेव का संकुल प्राचार्य हाईस्कूल सांगाखेडा द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अभिलेखों के परीक्षण में बताया गया कि विकासखंड जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला गांगावानी संकुल केन्द्र सांगाखेड़ा के प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया 19 जनवरी 2026 से निरीक्षण दिनांक तक बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है। छात्रों एव शिक्षंको द्वारा बताया गया कि प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया के बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण शाला में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने प्रतिवेदन में लेख किया कि प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया मदिरा का सेवन कर संस्था में उपस्थित होते हैं, जिससे छात्रों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया का यह कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में प्राथमिक शिक्षक श्री ठकरिया का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ नियत किया गया है।

बारूखेड़ा में पदस्थ एक सहायक अध्यापक निलंबित

जुन्नारदेव के प्राथमिक शाला बारूखेड़ा में पदस्थ सहायक अध्यापक अरविंद ठाकरे को शाला में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येन्द्र मरकाम ने बताया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुन्नारदेव द्वारा अपने पत्र 02 फरवरी 2026 द्वारा लेख किया कि 02 फरवरी 2026 को प्राचार्य उच्चतर माध्यमिक शाला रामपुर एवं जन शिक्षक द्वारा प्राथमिक शाला बारूखेडा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उपस्थिति पंजी के अवलोकन से पाया गया कि प्राथमिक शाला बारूखेड़ा के सहायक अध्यापक श्री ठाकरे 27 जनवरी 2026 से बिना सूचना के अनुपस्थित है। उपस्थित अतिथि शिक्षकों द्वारा बताया गया कि सहायक अध्यापक श्री ठाकरे जनवरी माह में मात्र 08 दिन उपस्थित रहें है तथा पूर्ण माह में हस्ताक्षर किये है। शिक्षक उपस्थिति पंजी अपने साथ लेकर जाते है तथा संस्था में मदिरा का सेवन कर उपस्थित होते है और संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कराते है। शिक्षक को पूर्व में भी इस कृत्य के लिए समझाया गया कि उनके कार्य व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सहायक अध्यापक श्री ठाकरे निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सहायक अध्यापक का मुख्यालय शिक्षा अधिकारी कार्यालय हर्रई नियत किया गया है।

कुर्सी में बैठे बैठे ही हो गई युवक की मौत

छिंदवाड़ा। सिंगोड़ी चैकी क्षेत्र के रहने वाले युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि षराब पीने का आदि था। जानकारी अनुसार दिलीप पिता देवेंद्र बंदेवार उम्र 32 साल सिंगोड़ी का रहने वाला है। घटना के दिन वह कुर्सी पर बैठा था। इसके बाद वह कुर्सी से उठा ही नहीं। जब परिजनों ने देखा वह उठ नहीं रहा, तो उसे उसे जैसे ही हिलाया वह जमीन पर गिर गया। उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया अत्याधिक शराब पीने से मौत होना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा होगा।

152 सेंटरों में 17097 विद्यार्थियों ने दिया पेपर

280 विद्यार्थियों रहे अनुपस्थित, उड़नदस्ता की नकचियों पर रही नजर

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 18 फरवरी. माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 12 वी बोर्ड परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में जिले के 152 सेंटरों में 17097 विद्यार्थी सम्मलित हुए। इन विद्यार्थियों ने इतिहास, रसायन शास्त्र, एलिमेंट ऑफ साइंस, व्यवसाय अध्ययन, गृह प्रबंधन, पेंटिंग एवं ड्राइंग का पेपर दिया।

इन पेपरों में जिले भर से 280 विद्याथी किन्ही कारणों के चलते पेपर में षामिल होने से वंचित हो गए। जांच के दौरान उड़नदस्ता को एक भी नकलची नहीं मिला। जानकारी देते हुए परीक्षा प्रभारी दीलिप ढोक ने बताया कि जिला उड़नदस्ता ने 17 सेंटरों में जांच की। वही विखं उड़नदस्ता ने 48 सेंटरों में जांच की। इस दौरान दोनों उड़नदस्ता को एक भी नकल करते हुए कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि परीक्षा देने के पूर्व कक्ष प्रभारी भी नजर बनाए हुए थ। इसलिए किसी भी विद्यार्थियों को नकल करने का मौका नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व विद्यार्थियों से मोबाइल सहित अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइज बाहर रखवा ली गई थी। सेंटरों में नकल न हो, इसके लिए पूरी सर्तकता वरती जा रही है।

स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने भी दिया पेपर

इधर नियमित विद्यार्थियों के साथ स्वाध्यायी विद्यार्थियों ने भी पेपर दिए। जिसमें जिले भर के 6 सेंटरों में 1255 विद्यार्थियों ने पेपर दिया। वही 146 विद्यार्थी पेपर से अनुपस्थित रहे। इसी तरह इन सेंटरों में जिला उड़नदस्ता ने 3 सेंटरों में जांच की। वही विखं उड़नदस्ता ने 4 सेंटरों में जांच की। जांच के दौरान उड़नदस्ता को एक भी नकलची नहीं मिला।

चार युवकों ने एक युवक के साथ की लूट

छिंदवाड़ा। कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप तीन से चार युवकों ने एक युवक के साथ लूट की घटना की अंजाम दिया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी अनुसार अंकित पिता बलवीर सैयाम उम्र 19 साल सिंगोड़ी टोला का रहने वाला है। वह दो दिन पूर्व किसी काम से बस स्टैंड आया हुआ था। इस दौरान भोजनालय के सामने तीन से चार युवकों ने पहले तो उसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसके पास काम के रखे 5 हजार रूपए छीनकर भाग निकले। इसके बाद उसने कोतवाली में आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

दो दिन से लापता युवक का कुएं में मिला शव

छिंदवाड़ा। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र के मेधासिवनी क्षेत्र में एक कुएं में एक युवक का शव उतराते हुए पाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुएं से शव को बाहर निकलवाया। मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। जानकारी अनुसार प्रकाष पिता रामाधार सरेयाम उम्र 25 साल खंसवाड़ा का रहने वाला है। वह दो दिनों से घर से गायब था। मेधासिवनी का रहने वाला किसान अपने खेत में सिंचाई करने पहुंचा। जैसे वह कुएं के पास पहुंचा। उसने उसने देखा कि कुएं में शव उतरा रहा है। उसने तत्काल इस बात की सूचना पर पुलिस को दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। जिसकी शिनाख्त कर ली गई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ग्राम मुरमारी और मोहन नगर में आबकारी विभाग की कार्रवाई

20 लीटर कच्ची शराब और विदेशी मदिरा की 20 बोतल की बरामद

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 18 फरवरी. जनसुनवाई में की गई शिकायत के बाद आबकारी विभाग के अमले ने ग्राम मुरमारी के घरों एवं नालों के किनारे बन रहे अवैध कच्ची शराब के लिए ड्रमों एवं डिब्बों में रखी लगभग 1000 कि.ग्रा. महुआ लहान बरामद कर मौके पर बरामद लहान का सेंपल लेकर शेष लहान को नष्ट किया गया .

20 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34- 1 क के तहत 03 आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किए गए तथा 01 अज्ञात प्रकरण दर्ज किए गये। इसी तरह मोहननगर निवासी विकास ऊर्फ प्रिंस वाधवानी के रिहायशी मकान से विदेशी मदिरा की 20 बोतल एवं 05 पाव मदिरा बरामद कर धारा 34 (1) एवं 45 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस कार्यवाही में वृत्त प्रभारी जी.एल.मरावी, आबकारी आरक्षक लक्ष्मीचंद अडमाचे, जितेंद्र सिंह, सोलानी वरकडे एवं राजकुमार सैयाम उपस्थित थे।

जांच होटलों, अस्पतालों और फैक्ट्रियों में नगर निगम अमले ने दी दबिश, की गई अग्निशमन सुरक्षा की जांच

संस्थानों में नही मिले निर्धारित मानकों के अनुरूप फायर सेफ्टी सिस्टम

नवभारत न्यूज
छिंदवाड़ा, 18 फरवरी. शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने आज व्यापक अभियान चलाया। नगर निगम के फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों, अस्पतालों तथा औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्रियों में अग्निशमन सुरक्षा उपकरणों की सघन जांच की।

जांच के दौरान प्रतिष्ठानों में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग आदि की स्थिति का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही सेफ्टी सर्टिफिकेट और फायर ऑडिट से संबंधित दस्तावेजों की भी गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा संबंधी उपाय निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। ऐसे संस्थानों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि नए प्रतिष्ठानों के निर्माण से पूर्व नगर निगम से भवन निर्माण अनुमति लेना अनिवार्य है। भवन अनुमति के समय ही फायर प्लान परमिशन के लिए आवेदन करना आवश्यक होता है। व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण कर फायर प्लान का अनुमोदन किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि फायर प्लान के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद नगर निगम द्वारा फायर प्लान का सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो तीन वर्षों तक मान्य रहता है। हालांकि इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष फायर ऑडिट कराना अनिवार्य है। तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद समकालीन मानकों के अनुसार सेफ्टी सर्टिफिकेट का नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मन स्पर्श माइंड केअर क्लिनिक
डॉ. तुषार ताल्हन
M.B.B.S, M.D.
(NEURO-PSYCHIATRY)
एक्स रेसीडेंड लोकमान्य तिलक सायन हॉस्टिपल, मुंबई
मस्तिष्क, मनोरोग, सेक्स रोग, मिर्गी एवं नशामुक्ति विशेषज्ञ
संपर्क करें 8109790451
मिलने का समय
दोप. 2.30 से 5 बजे तक एवं शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक (रविवार अवकाश)
उपलब्ध सुविधाएं
• नशामुक्ति (शराब, तंबाकू, अफीम, गांजा, भांग, चरस इत्यादि)
• सरदर्द माइग्रेन
• नींद की बीमारिया
• ईईजी जांच सुविधा
• बुद्धि की जांच
• डिप्रेशन, ओ.सी.डी.
• दौरे/मिर्गी की बीमारी
• सिज़ेफ्रेनिया
• बेवजह गुस्सा एवं व्यवहार की समस्याएं
• पारिवारिक/वैवाहिक कलह-परामर्श
• बच्चों की व्यवहारिक समस्याएं
• बायोफीडबैक रिलैक्सशन थैरेपी (बिना दवाईयों के स्ट्रेस हटाने की थैरेपी)
पता- सेंट्रल एवेन्यू कॉम्पलेक्स, पतंजली शोरूमे बाजू में एचपी पेट्रोल पंप के सामने, परासिया रोड छिंदवाड़ा

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिये मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा हितकारिणी, प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित एवं गुजराती समाज भवन, नई आबादी छिंदवाड़ा से प्रकाशित । संपादक क्रांति चतुर्वेदी। * फोन- 235677,235988 E-mail-nbchh123@gmail.com *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. MPHIN/2000/2589